भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4135
17 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: **कृषि भूमि में कमी का प्रभाव**

4135. श्री जी. कुमार नायकः
श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान कृषि योग्य भूमि में भारी कमी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2014-15 से 2025-26 की अवधि के दौरान निवल बुवाई क्षेत्र और सकल फसली क्षेत्र सहित कृषि भूमि क्षेत्र में हुई कमी के संबंध में आंकड़े संकलित किए हैं या उनका मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने खाद्य फसल उत्पादन पर कृषि भूमि में कमी या ठहराव के प्रभाव का कोई सापेक्ष आकलन किया है और उक्त वर्षों के दौरान उत्पादन और उपज में हुए परिवर्तनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या यह भी सच है कि यह कमी खेती में रुचि की कमी और बढ़ते शहरीकरण के कारण है, यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(ङ) क्या सरकार ने कृषि भूमि क्षेत्र में हो रही कमी के संदर्भ में खाद्य फसल उत्पादन को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए कोई नीतिगत विकल्प या उपशमन कार्यनीतियां तैयार की हैं या कार्यान्वित की हैं और यदि हां, तो अब तक क्या लक्ष्य और परिणाम प्राप्त किए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और इसका योजना और राज्यवार ब्यौरा क्या हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री भागीरथ चौधरी)

(क) से (ग): भूमि और कृषि राज्य के विषय हैं। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची – II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अनुसार, भूमि राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आती है जो कृषि योग्य क्षेत्र बढ़ाने और कृषि भूमि का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करने के लिए उत्तरदायी हैं। हालांकि, भारत सरकार नीतिगत पहलों और बजटीय सहायता के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन करती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नवीनतम वार्षिक प्रकाशन "भू-उपयोग सांख्यिकी - एक झलक 2023-24" के अनुसार, देश में कृषि भूमि का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। सकल फसल क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014-15 में 198.28 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 217.8 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जबकि शुद्ध बोया गया क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर रहा है जो वर्ष 2023-24 में 138.99 मिलियन हेक्टेयर पर बना हुआ है। आधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने और प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप फसल सघनता में निरंतर सुधार हुआ है जो वर्ष 2014-15 में 142.2% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 156.8% हो गई है। यह बहु-फसली खेती की ओर सकारात्मक परिवर्तन को दर्शाता है और किसानों की एक ही भूमि पर प्रतिवर्ष एक से अधिक बार खेती करने की बढ़ी हुई क्षमता को उजागर करता है। कृषि भूमि का वर्षवार और राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का प्रदेशवार विवरण (जिसमें शुद्ध बोया गया क्षेत्र शामिल है) तथा सकल फसल क्षेत्र का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जो वर्ष 2014-15 में 252.02 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 357.73 मिलियन टन हो गया है। बागवानी उत्पादन में भी वर्ष 2014-15 में 280.98 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 369.05 मिलियन टन (तीसरा अग्रिम अनुमान) हो गया है। खाद्यान्न उत्पादन का वर्षवार और राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का प्रदेशवार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(घ) एवं (ङ): अनाज और बागवानी फसलों का रिकॉर्ड उत्पादन दर्ज किया गया है जो यह दर्शाता है कि कृषि क्षेत्र में किसानों की रुचि में कोई कमी नहीं है। कृषि राज्य का विषय होने के कारण, राज्य सरकारें कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए उचित उपाय करती हैं। भारत सरकार समय-समय पर उचित नीतिगत उपायों, सुधारों, विकास कार्यक्रमों, बजटीय सहायता, एमएसपी के माध्यम से मूल्य समर्थन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के द्वारा राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कई केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू कर रहा है, जिनका उद्देश्य क्षेत्रफल विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना है, जैसा कि **अनुबंध-III** में दिया गया है।

भूमि के उत्पादक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, फसल सघनता बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई पहलें लागू की हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) और फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को क्षेत्र-विशिष्ट उच्च मूल्य वाली फसलों, दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को अपनाने के लिए सहायता प्रदान की जाती है, जिससे एक ही फसल पर निर्भरता कम हो सके। सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएच एंड एफ), समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-तिलहन, दलहन आत्मनिर्भरता मिशन, जैविक और सतत खेती के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई), वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी) जैसी योजनाएं किसानों को जलवायु-अनुकूल, उच्च मूल्य वाली और विविध फसलों को अपनाने के लिए और प्रोत्साहित करती हैं।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने से कम जल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिससे कुशल फसल पैटर्न और जल संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संभव होता है। इसके अतिरिक्त, सरकार कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और एम-किसान जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जलवायु-अनुकूल बीज किस्मों, मिट्टी में नमी संरक्षण पद्धतियों और समय पर कृषि परामर्शिकाओं को सुगम बनाती है, जिससे किसानों को फसल चयन और भूमि उपयोग के संबंध में सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

अनुबंध।

"कृषि भूमि में कमी का प्रभाव" के संबंध में दिनांक 17.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4135 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र - कृषि भूमि के अंतर्गत क्षेत्रफल

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	9047	9018	9003	8999	8997	8828	8817	8987	8979	8977
2	अरुणाचल प्रदेश	423	423	423	424	424	424	431	431	431	430
3	असम	3364	3343	3337	3302	3305	3296	3295	3321	3315	3311
4	बिहार	6579	6578	6572	6573	6573	6557	6541	6542	6545	6549
5	छत्तीसगढ़	5558	5561	5558	5562	5570	5551	5542	5552	5556	5554
6	गोवा	197	197	197	197	197	141	141	141	139	141
7	गुजरात	12099	12429	12450	12413	12397	12388	12462	12428	12368	12318
8	हरियाणा	3656	3798	3744	3759	3817	3794	3847	3847	3950	3853
9	हिमाचल प्रदेश	810	816	813	816	816	821	821	831	843	827
10	झारखंड	4343	4313	4367	4323	4319	4280	4319	4324	4311	4311
11	कर्नाटक	12827	12800	12784	12777	12830	12843	12846	12836	12812	12793
12	केरल	2266	2250	2247	2246	2235	2232	2229	2223	2200	2186
13	मध्य प्रदेश	17252	17250	17231	17207	17121	17183	17449	17432	17442	17424
14	महाराष्ट्र	21099	21062	20748	20751	20719	20589	20509	20466	20394	20391
15	मणिपुर	390	444	476	453	448	338	417	399	389	215
16	मेघालय	1056	1008	1015	1013	1011	1010	1010	1015	1014	1014
17	मिजोरम	367	367	367	367	367	367	367	367	367	391
18	नागालैंड	694	695	694	694	678	676	674	672	669	668
19	ओडिशा	6784	6648	6690	6745	6675	6699	6654	6782	6742	6723
20	पंजाब	4230	4245	4237	4235	4233	4238	4237	4225	4225	4226
21	राजस्थान	25511	25504	25496	25493	25484	25475	25473	25463	25464	25446
22	सिक्किम	97	97	97	97	97	97	97	97	103	103
23	तमिलनाडु	8112	8110	8110	8110	8109	8108	8106	8105	8105	8104
24	तेलंगाना	6877	6870	6752	6770	6767	6785	6717	6715	6735	6727
25	त्रिपुरा	272	272	271	271	270	270	270	270	269	269
26	उत्तराखंड	1549	1547	1546	1550	1548	1545	1544	1541	1540	1564
27	उत्तर प्रदेश	18939	18863	18848	18826	18775	18614	18614	18264	18227	18237
28	पश्चिम बंगाल	5655	5648	5633	5625	5615	5608	5602	5595	5589	5582
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	28	28	28	28	28	28	28	28	28	21
30	चंडीगढ़	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	-	-	-	-	-	23	23	23	22	22
32	दादरा एवं नागर हवेली*	24	24	24	24	20					--
33	दमन एवं दीव*	3	3	3	3	3					
34	दिल्ली	53	53	53	53	53	53	53	53	52	58
35	जम्मू-कश्मीर	1075	1077	1078	1081	1091	1071	1074	1075	1094	1095
36	लद्दाख#	2019 में गठित					28	28	28	32	32
37	लक्षद्वीप	2	2	2	2	3	2	2	2	2	0
38	पुदुचेरी	29	29	29	29	28	28	28	28	28	27
	अखिल भारत	181268	181371	180923	180817	180624	179992	180266	180112	179982	179596

स्रोत: भू-उपयोग सांख्यिकी-एक झलक, 2023-24,

0 का आशय है - 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल; (पी): अस्थायी

कृषि भूमि: इसमें बोई गई शुद्ध भूमि, वर्तमान परती भूमि, वर्तमान परती भूमि के अलावा अन्य परती भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि और विविध वृक्ष फसलों के अंतर्गत भूमि शामिल है।

* दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य-क्षेत्र का विलय करके दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन वर्ष 2019 में हुआ।

अनुबंध । जारी है

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र –वार सकल फसल क्षेत्र

(हजार हेक्टेयर में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	7690	7532	7418	7445	7297	7287	7407	7328	6744	5744
2	अरुणाचल प्रदेश	299	301	313	316	320	320	328	338	343	348
3	असम	4083	4060	4087	4045	4004	3975	3888	3872	4034	4122
4	बिहार	7673	7572	7654	7525	7406	7297	7265	7329	7268	7836
5	छत्तीसगढ़	5728	5640	5673	5540	5614	5735	5712	5704	5596	5524
6	गोवा	158	157	155	152	150	147	144	144	144	145
7	गुजरात	12680	12590	12949	13108	12233	13816	14722	14759	13987	14861
8	हरियाणा	6536	6510	6452	6549	6605	6617	6566	6566	6649	6901
9	हिमाचल प्रदेश	918	933	959	917	914	892	899	890	887	875
10	झारखंड	1554	1812	2045	2033	1824	1760	1803	1845	1229	1294
11	कर्नाटक	12247	12009	11779	11994	13551	13831	14910	14748	14816	13464
12	केरल	2625	2628	2584	2580	2571	2586	2569	2523	2516	2536
13	मध्य प्रदेश	23810	23714	24214	25114	26115	28277	29903	30049	30117	30265
14	महाराष्ट्र	23474	23467	23947	23109	22194	23856	24917	25730	25375	24133
15	मणिपुर	383	437	469	446	441	331	410	393	382	382
16	मेघालय	343	303	309	309	312	313	309	325	330	330
17	मिजोरम	145	188	186	188	187	195	206	206	206	201
18	नागालैंड	500	504	521	530	529	530	532	319	471	481
19	ओडिशा	5173	4803	4884	4502	4527	4670	4819	4997	5014	5168
20	पंजाब	7857	7872	7804	7779	7851	7838	7835	7916	8312	8263
21	राजस्थान	24235	25014	26036	25069	25313	27515	26100	27442	28171	27696
22	सिक्किम	136	137	146	153	162	162	140	140	139	139
23	तमिलनाडु	5995	6074	5129	5730	5672	5942	6156	6348	6419	6117
24	तेलंगाना	5315	4893	5970	6059	5774	7479	8479	8026	9278	8486
25	त्रिपुरा	483	486	491	487	487	487	487	487	485	483
26	उत्तराखंड	1097	1083	1082	1060	1029	1024	997	969	932	907
27	उत्तर प्रदेश	26147	26203	26949	26864	26859	27109	27109	28200	28237	29783
28	पश्चिम बंगाल	9690	9881	9618	9945	9960	10100	10207	10259	9974	10133
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24	48	44	49	41	46	40	39	39	16
30	चंडीगढ़	2	1	1	2	1	3	2	2	2	1
31	दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव	-	-	-	-	-	23	23	23	21	21
32	दादरा एवं नागर हवेली*	23	23	23	23	20	-				
33	दमन एवं दीव*	3	3	3	3	3					
34	दिल्ली	35	58	57	59	59	58	58	58	52	47
35	जम्मू-कश्मीर	1196	1159	1177	1165	1124	1090	1112	1134	1133	1126
36	लद्दाख#					-	-	-	-	-	22
37	लक्षद्वीप	3	2	2	2	3	2	2	2	2	2
38	पुदुचेरी	27	26	26	26	27	27	27	28	30	30
	अखिल भारत	198285	198122	201158	200876	201179	211359	216107	219158	219357	217882

स्रोत: भू-उपयोग सांख्यिकी-एक झलक, 2023-24,

0 का आशय है - 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल; (पी): अस्थायी

* दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य-क्षेत्र का विलय करके दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन एवं दीव एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

\# लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन वर्ष 2019 में हुआ।

अनुबंध II

"कृषि भूमि में कमी के प्रभाव" के संबंध में दिनांक 17.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4135 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र का प्रदेशवार कुल खाद्यान्न उत्पादन

(उत्पादन लाख टन में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.15	0.15	0.13	0.17	0.12	0.18	0.14	0.14	0.11	0.10	0.09
2	आंध्र प्रदेश	104.94	106.34	103.65	121.60	108.39	123.57	112.99	110.77	121.49	104.13	117.22
3	अरुणाचल प्रदेश	4.09	3.27	3.43	3.59	3.65	3.73	3.77	3.88	3.93	3.92	3.93
4	असम	54.59	53.59	49.53	55.26	54.66	52.36	54.88	46.78	59.45	62.59	55.33
5	बिहार	132.09	145.08	165.31	170.37	156.00	142.33	153.83	170.18	183.43	212.01	213.73
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
7	छत्तीसगढ़	74.63	66.54	93.24	59.59	75.59	75.02	82.26	90.24	108.93	106.19	113.84
8	दादरा और नागर हवेली*	0.33	0.41	0.39	0.36	0.36	0.40	0.34	0.34	0.38	0.38	0.35
9	दमन एवं दीव*	0.06	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.04			
10	दिल्ली	1.18	1.12	1.11	1.07	1.06	1.06	1.12	1.07	1.06	1.05	1.06
11	गोवा	1.29	1.15	1.19	1.08	1.05	0.94	0.91	0.93	0.92	0.99	0.80
12	गुजरात	71.09	62.79	74.22	76.65	68.04	81.53	89.74	101.31	98.75	100.45	104.76
13	हरियाणा	152.35	163.59	171.63	161.92	181.45	178.63	183.09	163.30	173.93	184.39	189.02
14	हिमाचल प्रदेश	14.32	16.15	17.41	14.88	15.01	15.30	15.36	16.07	14.79	16.48	15.68
15	जम्मू - कश्मीर	12.20	17.33	16.19	15.71	18.93	16.71	15.95	16.78	17.63	18.45	18.45
16	झारखंड	47.77	40.92	56.64	60.01	44.00	47.92	48.72	50.01	31.66	33.58	50.42
17	कर्नाटक	121.38	99.24	97.95	117.91	108.88	127.84	145.50	137.77	141.81	127.77	146.31
18	केरल	5.64	5.54	4.39	5.24	5.81	6.08	6.36	4.89	5.98	5.02	5.18
19	लद्दाख#	-						0.12	0.30	0.25	0.25	0.29
20	मध्य प्रदेश	286.87	303.87	332.24	334.50	322.09	335.23	328.44	393.08	419.32	414.68	466.31
21	महाराष्ट्र	113.12	87.54	153.32	132.47	103.04	128.20	157.66	166.56	167.26	145.09	184.69
22	मणिपुर	4.29	4.36	5.25	7.07	4.95	4.21	6.97	6.55	4.43	4.38	4.99
23	मेघालय	3.54	3.58	2.60	3.62	2.61	3.61	3.53	3.55	3.39	3.25	3.39
24	मिजोरम	0.75	0.77	0.75	0.74	0.77	0.76	0.81	0.78	0.63	0.55	0.47
25	नागालैंड	6.50	5.16	5.35	5.52	5.58	5.65	5.70	2.53	5.14	5.19	4.94
26	ओडिशा	89.80	64.08	90.61	71.51	83.15	90.30	95.24	101.25	90.73	94.32	103.97
27	पुदुचेरी	0.54	0.45	0.53	0.44	0.64	0.60	0.51	0.58	0.66	0.63	0.48
28	पंजाब	266.98	284.01	285.37	316.92	315.32	298.57	304.18	282.52	302.36	325.44	327.78
29	राजस्थान	196.22	180.40	193.54	199.57	212.89	232.27	242.82	216.63	238.09	218.72	255.72
30	सिक्किम	1.02	0.94	1.01	0.94	0.92	0.92	0.92	0.91	0.83	0.69	0.69
31	तमिलनाडु	96.24	114.78	41.42	107.14	103.90	112.70	108.24	119.98	116.80	107.00	109.26
32	तेलंगाना	71.15	51.29	84.85	94.21	92.75	111.25	127.46	153.49	193.75	202.76	216.35
33	त्रिपुरा	7.62	8.18	8.60	8.55	8.36	8.53	8.68	8.71	8.42	8.42	7.65
34	उत्तर प्रदेश	395.94	425.51	499.03	513.70	546.43	561.69	581.07	561.88	575.09	602.86	638.48
35	उत्तराखंड	16.26	17.46	18.73	19.03	18.76	18.86	20.02	19.24	17.71	18.00	17.17
36	पश्चिम बंगाल	165.32	179.81	171.46	168.78	186.90	187.94	200.05	203.08	187.74	193.24	198.50
	अखिल भारत	2520.25	2515.42	2751.10	2850.14	2852.09	2975.04	3107.42	3156.16	3296.87	3322.98	3577.32

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग।

* दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली संघ राज्य-क्षेत्र का विलय वर्ष 2020 में कर दिया गया जिसका नाम दादरा और नागर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य-क्षेत्र है।

लद्दाख संघ राज्य-क्षेत्र का गठन वर्ष 2019 में हुआ।

अनुबंध III

"कृषि भूमि में कमी के प्रभाव" के संबंध में दिनांक 17.03.2026 को उत्तरार्थ लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4135 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

कृषि एवं किसान कल्याण की प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम:

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
2. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) – ऑयल पाम
3. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
4. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ)
5. परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
6. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एसएच एंड एफ)
7. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)
8. कृषि वानिकी
9. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
10. कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)
11. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)
12. समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
13. राष्ट्रीय बांस मिशन
14. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन (एनबीएचएम)
15. पूर्वोतर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
16. प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
17. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
18. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
19. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)
20. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
21. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
22. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस)
23. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ)
24. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और संवर्धन
25. नमो ड्रोन दीदी
26. स्टॉर्ट-अप्स एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि निधि (एग्रीश्योर)
27. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)
28. डिजिटल कृषि मिशन
29. प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना
30. दलहन आत्मनिर्भरता मिशन
